संख्या – 238/एक–11–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग–11 दिनांक: 08 अप्रैल, 2020

विषयः कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की स्थिति में धार्मिक स्थलों यथा–मंदिरों/मस्जिदों/मजारों में काम करने वाले व्यक्तियों के भरण–पोषण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की स्थिति में धार्मिक स्थलों यथा–मंदिरों/मस्जिदों/मजारों में काम करने वाले व्यक्तियों के समक्ष भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **लाकडाउन की स्थिति में अन्य प्रभावित जरूरतमंद व्यक्तियों की भांति जनपद में स्थित समस्त धार्मिक स्थलों यथा–मंदिरों/मस्जिदों/मजारों में काम करने वाले व्यक्तियों के भरण–पोषण की समुचित व्यवस्था राजस्व अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–165/एक–10–2020–33(221)2011 टी0सी0–।। दिनांक 01.04.2020 द्वारा पूर्व में ही निर्गत धनराशि से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।**

भवदीया,
08/4/2020
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner